भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1090

09 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा मिलावटी पनीर का पता लगाने के लिए निरीक्षण

1090. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

श्रीमती जेबी माथेर हीशमः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एफएसएसएआई या राज्य खाद्य सुरक्षा विभागों ने विगत पांच वर्षों के दौरान मिलावटी या नकली पनीर का पता लगाने के लिए कोई निरीक्षण अभियान चलाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने प्रतिशत पनीर के नमूनों को असुरक्षित या मिलावटी पाया गया;

(ग) ऐसे नमूनों में पाए गए सामान्य मिलावट वाले पदार्थ कौन से हैं और उनके ज्ञात स्वास्थ्य प्रभाव क्या हैं; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान किसी भी अपराधी के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है, जिसमें जुर्माना या लाइसेंस रद्द करना शामिल है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए अधिदेशित है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों का साझा उत्तरदायित्व है। एफएसएसएआई अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य

सुरक्षा विभागों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों में निर्धारित मानकों और आवश्यकताओं के अनुपालन की जाँच और सत्यापन हेतु निगरानी, निरीक्षण, मॉनीटरिंग और यादृच्छिक नमूनाकरण करता है।

पनीर के मानक खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के अंतर्गत निर्दिष्ट हैं और पनीर में पाए जाने वाले सामान्य मिलावटी तत्व स्टार्च और सुक्रोज हैं। दुग्ध और पनीर सहित दुग्ध संबंधी उत्पादों के प्रवर्तन के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आँकड़ें **अनुलग्नक-I** में

दुग्ध और दुग्ध संबंधी उत्पादों के संबंध में पिछले 05 वर्षों में किए गए प्रवर्तन/कार्रवाई का विवरण		
वर्ष	शुरू किए गए मामलों की संख्या	दंडित/दोषसिद्ध मामलों की संख्या
2024-25	12057	8815
2023-24	14384	7109
2022-23	10381	6953
2021-22	22016	13488
2020-21	3082	525

दिए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में दुग्ध और पनीर सहित दुग्ध संबंधी उत्पादों में गैर-अनुपालन के लिए विश्लेषण किए गए नमूनों और दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण नीचे दिया गया है।

अनुलग्नक-I

पनीर और अन्य दुग्ध संबंधी उत्पादों पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रवर्तन संबंधी आंकड़ें							
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष **2022-23**		वित्त वर्ष **2023-24**		वित्त वर्ष **2024-25**	
		विश्लेषित नमूनों की संख्या	गैर-अनुरूप नमूनों की संख्या	विश्लेषित नमूनों की संख्या	गैर-अनुरूप नमूनों की संख्या	विश्लेषित नमूनों की संख्या	गैर-अनुरूप नमूनों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	47	0	0	0	40	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	119	37	144	47
3	अरुणाचल प्रदेश	1	1	11	2	3	3
4	असम	39	18	45	17	87	13
5	बिहार	64	2	84	27	96	21
6	चंडीगढ़	23	6	40	17	36	19
7	छत्तीसगढ	18	3	59	17	171	40
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	2	0	2	0
9.	दिल्ली	0	0	225	41	122	9
10	गोवा	11	1	225	41	24	0
11	गुजरात	294	58	42	0	628	140
12	हरियाणा	603	253	570	154	278	122
13	हिमाचल प्रदेश	172	86	416	246	75	25
14	जम्मू एवं कश्मीर	487	134	98	41	352	132
15	झारखंड	78	48	58	31	49	31
16	कर्नाटक	95	8	68	1	267	3
17	केरल	179	37	138	10	143	7
18	लद्दाख	9	0	29	4	21	1
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	1340	334	1446	442	1077	234
21	महाराष्ट्र	683	112	379	90	597	161
22	मणिपुर	3	0	15	0	11	0
23	मेघालय	13	0	6	1	22	1
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	13	0	13	1
26	उड़ीसा	25	7	22	4	39	10
27	पुदुचेरी	0	0	0	0	3	0
28	पंजाब	799	417	585	230	531	255
29	राजस्थान	1017	507	1369	520	1282	772
30	सिक्किम	3	0	5	0	16	0
31	तमिलनाडु	850	138	252	17	240	49
32	तेलंगाना	108	30	360	186	119	25
33	त्रिपुरा	0	0	7	0	2	0
34	उत्तर प्रदेश	4228	2524	4858	3069	3859	2706
35	उत्तराखंड	59	21	260	56	232	24
36	पश्चिम बंगाल	32	18	602	60	386	64

नोट- आंकड़ों को बनाए रखने के लिए केंद्रीकृत पोर्टल वित्त वर्ष 2022-23 से उपलब्ध है।
